भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1273**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**कर्नाटक में आश्रय गृहों की लेखा परीक्षा**

**1273. श्री राजीव चन्द्रशेखरः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में पंजीकृत आश्रय गृहों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अवैध तरीके से चल रहे आश्रय गृहों के संबंध् में कोई ब्यौरा मुहैया कराया है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा आश्रय गृहों की लेखा परीक्षा की गई है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा आश्रय गृहों की समुचित लेखा परीक्षा करने के उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित कुल 1134 बाल देखरेख संस्‍थान किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत है। मंत्रालय ने राज्‍य सरकार से जिला कलेक्‍टर/जिला मजिस्‍ट्रेट की देखरेख में संस्‍थानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। राज्‍य सरकार ने निरीक्षण किया और सूचना के अनुसार 26 संस्‍थानों, एक (01) का ठीक से कार्य न करने ओर पच्‍चीस (25) संस्‍थानों का उन संस्‍थानों में बच्‍चों के न होने के कारण, पंजीकरण रद्द किया था।

\*\*\*\*\*\*\*